

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

आप.प्र.क्रमांक—681 / 2010  
संस्थित दिनांक 13.09.2010  
फा.नंबर—234503000062010

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बिरसा  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

अमाम उर्फ रामेश्वर पिता रामसिंह, उम्र—28 वर्ष,  
निवासी ग्राम बोरी चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा  
जिला बालाघाट, म.प्र.।

.....अभियुक्त

// निर्णय //

( दिनांक 04.06.2018 को घोषित किया गया )

**01—** उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 22.08.2010 को समय शाम 4:00 बजे स्थान ग्राम बोरी अंतर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग करने, इस प्रकार धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

**02—** प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 01.05.2017 को अभियोक्त्री एवं आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को धारा—294, 323 भा.द.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा धारा—354 भा.द.वि. राजीनामा योग्य न होने से उस पर विचारण किया गया।

**03—** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि दिनांक 22.08.2010 को दिन रविवार को शाम के 4:00 बजे अभियोक्त्री ग्राम बोरी के हेण्डपंप में पानी भरने गई थी, उसी समय आरोपी अमाम उर्फ रामेश्वर हेण्डपंप के पास आया और अभियोक्त्री को माँ-बहन की गालियाँ देते हुए कहा कि वह उसकी बहन को अपने घर क्यों बुलाती है। आरोपी ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर उसका सीना दबाया और अभियोक्त्री के दाहिने हाथ को पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी चूड़ियाँ टूट गई और हाथ से खून निकला। घर जाकर अभियोक्त्री ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके उपरांत

अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की, जिसे थाना बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क-93/10, धारा 294, 323, 354 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत/अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये घटना स्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04—** आरोपी ने अपने अभिवाक तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

**05—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:-

1—क्या आरोपी ने दिनांक 22.08.2010 को समय शाम 4:00 बजे स्थान ग्राम बोरी अंतर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1

**06—** अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना इसी वर्ष 5-6 माह पूर्व शाम 4:00 बजे की है। वह पानी लेने हेण्डपंप गई थी, तो आरोपी वहीं आकर बैठ गया और उसकी ईज्जत लूट लूंगा कहने लगा। आरोपी उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और पत्थर से मारा, जिससे हाथ में चोट आई। घटना के दौरान गोलू एवं कमलेश ने बीच-बचाव किया था। फिर वह रोते हुए अपने घर गई और जब उसके पिता बाजार से वापस आये, तब उसने घटना अपने पिता को बताया था। उसने सालेटेकरी चौकी में जाकर घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध कराई थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है

कि आरोपी पहले मैं पानी भरूंगा कहकर विवाद किया था। इससे भी इंकार किया है कि पानी भरते समय बाल्टी के लगने से उसे चोट आई थी। इससे भी इंकार किया है कि उसके एवं आरोपी के परिवार के मध्य घरेलू विवाद चल रहा है, जिसके कारण वह आरोपी के खिलाफ झूठा बयान दे रही है।

**07—** आर0एस0 सिंगरोरे अ.सा.07 ने बताया है कि दिनांक 22.08.2010 को वह चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री ने आरोपी रामेश्वर के विरुद्ध चौकी सालेटेकरी में अपराध क्रमांक 0/10 धारा-294, 323, 354 भा.द.वि. की रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी। उक्त दिनांक को ही उसने अपराध को असल कायमी हेतु थाना बिरसा भेजा था। रामकिशोर मातरे अ.सा.06 ने बताया है कि वह दिनांक 23.08.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सालेटेकरी चौकी के आरक्षक रावणसिंह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पेश करने पर उसने थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 93/10 धारा-294, 323, 354 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसके द्वारा झूठी कार्यवाही की गई थी।

**08—** कमलेश अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी एवं अभियोक्त्री को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना दिनांक 22.08.2010 को आरोपी अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़कर सीना दबाया था। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.04 के कथन में आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर सीना दबाने वाली बात बताई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री से कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं की थी और ना ही सीना दबाया था।

**09—** गोलू अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी एवं अभियोक्त्री को जानता है उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना दिनांक 22.08.2010 को आरोपी अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़कर सीना दबाया था। इससे भी इंकार किया है कि

उसने पुलिस को प्र.पी.05 के कथन में आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर सीना दबाने वाली बात बताई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी।

**10—** अश्विनी कुमार अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। अभियोक्त्री उसकी लड़की की है। घटना 3-4 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को जब वह घर वापस आया तो अभियोक्त्री ने उसे बताया कि आरोपी रामेश्वर ने उसके साथ मारपीट की थी। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह बताया था कि आरोपी ने बुरी नियत से हाथ पकड़कर सीना दबाया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लिया था। जबकि प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। घटना के बारे में अभियोक्त्री के बताये अनुसार बता रहा है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है। मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में भी विपरीत बातें कही है तथा इस साक्षी ने आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का हाथ पकड़ने और सीना दबाने की बात बताये जाने से भी इंकार किया है।

**11—** अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और पत्थर में मारा, जिससे उसके हाथ में चोट आई थी। डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.02 ने बताया है कि दिनांक 22.08.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में उसने आहत/अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान आहत को दाहिने हाथ के अंगुठे पर 1/4 इंच गुणा 1/4 इंच का खरोंच, चोट क्रमांक 02 दाहिने हथेली के बाहरी भाग पर 1/2 गुणा 1/2 इंच का खरोंच मौजूद था, जो साधारण प्रकृति की होकर कठोर एवं बोथरे वस्तु से परीक्षण के 2 से 6 घंटे पूर्व पहुँचाई गई थी। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि अंगुठे की चोट अंगुठे पर भारी वस्तु गिरने से आ सकती है तथा चोट क्रमांक 02 नाखून द्वारा स्वयं कारित की जा सकती है, किन्तु अभियोक्त्री

को इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अंगुठे पर भारी वस्तु के गिरने से चोट आई थी और चोट क्रमांक 2 को उसने स्वयं नाखून से कारित किया था। फलतः चिकित्सक को दिये गये सुझाव से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

**12—** आर0एस0 सिंगरोरे अ.सा.07 ने बताया है कि चौकी सालेटेकरी के अपराध क्रमांक 0/10 धारा-294, 323, 354 भा.द.वि. के विवेचना के दौरान उसने दिनांक 23.08.2010 को अभियोक्त्री एवं गवाह कमलेश की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने अभियोक्त्री, गवाह संतलाल, कमलेश, गोलू, अश्विनी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी अमाम उर्फ रामेश्वर को साक्षी जैनसिंह एवं भागवती के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने अभियोक्त्री एवं साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था। यद्यपि प्रकरण में अभियोक्त्री के अलावा अन्य किसी साक्षी ने पुलिस को कथन नहीं देना बताया है। विवेचक आर.एस. सिंगरोरे अ.सा.07 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने प्रकरण में विवेचना झूठी की थी।

**13—** इस प्रकार अभियोक्त्री अ.सा.01 ने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट बताया है कि घटना जब वह पानी लेने हेण्डपंप में गई थी, वहाँ पर हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल नल की है। विवेचना अधिकारी आर.एस. सिंगरोरे अ.सा.07 ने भी बताया है कि उसने अभियोक्त्री की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। नक्शा मौका प्र.पी.02 में भी घटनास्थल हेण्डपंप होना दर्शाया गया है, जिससे घटनास्थल प्रमाणित है।

**14—** अभियोक्त्री अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी घटना के समय जब वह हेण्डपंप पर पानी लेने गई थी, वहाँ पर आया था और तेरी ईज्जत लूट लूंगा कहकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और पत्थर से हाथ में मारा था। प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह बताया था कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा था और सीना दबाया था। उसने मुख्य



परीक्षण में आरोपी द्वारा हाथ पकड़कर गाली देकर पत्थर से मारने वाली बात बताई है तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा सीना दबाने वाली बात भी सही है। स्वतः बताया कि वह भूल गई थी इसलिये नहीं बता पाई थी। इस प्रकार अभियोक्त्री को प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया गया। अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि उसके और आरोपी के परिवार के मध्य विवाद है। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है कि आरोपी एवं अभियोक्त्री के परिवार के मध्य पूर्व से किस बात को लेकर विवाद है, जिससे उक्त सुझाव से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होता है। अभियोक्त्री ने घटना के दौरान अपने हाथ में चोट आना बताया है तथा उक्त चोट की पुष्टि भी डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.02 ने किया है और अभियोक्त्री के दाहिने हाथ के अंगुठे एवं हथेली के बाहर खरोंच होना बताया है। आहत की चोट मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 से भी समर्थित है। यद्यपि प्रकरण में अन्य स्वतंत्र साक्षी कमलेश अ.सा.03, गोलू अ.सा.04 तथा अश्विनी अ.सा.05 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, किन्तु जहाँ एक मात्र अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय हो तथा उसकी चोटें भी चिकित्सक साक्षी के कथन से समर्थित हो, अभियोक्त्री के कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप न हो, वहाँ एक मात्र अभियोक्त्री के कथन से अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है। जहाँ अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाया जाये वहाँ उसके लिए समर्थन की भी अपेक्षा नहीं होता है। फलतः अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम.पी. बनाम भोजपाल, 2005 (5) एम.पी.एच.टी., 421 म.प्र. अवलोकनीय है।

15— उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक 22.08.2010 को समय शाम 4:00 बजे स्थान ग्राम बोरी अंतर्गत चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग

कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-354 भा.द.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

मधुसूदन जंघेल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट म.प्र.

**पुनःश्च:-**

16— दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2010 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है आरोपी अपने परिवार का काम करने वालो एकमात्र सदस्य है। उसके जेल चले जाने से उसके परिवार के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा भी हो गया है। फलतः आरोपी के दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। **अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।** उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2010 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। आरोपी एवं फरियादी के मध्य दिनांक 01.05.2017 को राजीनामा होने से आरोपी धारा 294, 323 भा.द.वि. के आरोप से दोषमुक्त भी किया गया है। दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 354 भा.द.वि. में दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगा और जुर्माने का प्रावधान है, किन्तु दण्ड विधि संशोधन का प्रवर्तन 03 फरवरी 2013 को हुआ है। इस प्रकरण का घटना दिनांक 22.08.2010 का है। तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार धारा 354 भा.द.वि. में दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दण्ड का प्रावधान था। चूंकि घटना दण्ड विधि में संशोधन से पूर्व का

हैं इसलिये आरोपी को पूर्व में निर्धारित दण्ड के अनुसार ही दण्डित किया जा सकता है, चूंकि आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो चुका है, उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध हो चुके हैं तथा आरोपी ने 08 वर्षों तक प्रकरण के विचारण का सामना भी किया है। दण्ड के प्रश्न पर विचार करते समय राजीनामा के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिये और राजीनामा के पश्चात आरोपी को पूर्व निर्धारित विधि के अनुसार जुर्माना के दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति हो सकती है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

क्र.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
1.	अमाम उर्फ रामेश्वर पिता रामसिंह, उम्र-28 वर्ष	354 भा.दं.वि.	अभिरक्षा में बिताये गये अवधि दिनांक 28.01.2011 से दिनांक 11.02.2011, दिनांक 12.05.2014 से दिनांक 15.05. 2014, दिनांक 16. 08.2016 से दिनांक 31.08.2016, दिनांक 04.04.2018 से दिनांक 07.04.2018	2000/- रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास

**17—** आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

**18—** आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी दिनांक 28.01.2011 से दिनांक 11.02.2011, दिनांक 12.05.2014 से दिनांक 15.05.2014, दिनांक 16.08.2016 से दिनांक 31.08.2016, दिनांक 04.04.2018 से दिनांक 07.04.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।



- 19— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 20— आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा किये जाने पर राशि रुपये 2000/— अभियोक्त्री को अपील अवधि पश्चात् प्रदान किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/—  
मधुसूदन जंघेल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट म.प्र.

सही/—  
मधुसूदन जंघेल  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)